विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-12/16

मेसर्स बाला जी इन्टर प्राईजेज — आवेदक
अधिकृत सिगनेट्री पंकज अग्रवाल,
ग्राम सोना सांवरी, तह. इटारसी,
जिला–होशंगाबाद म.प्र.

विरूद्ध

महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
होशंगाबाद म.प्र.

आदेश

(दिनांक 19.09.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 02/2016 मेसर्स बाला जी इन्टर प्राईजेज, विरूद्ध महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–12/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 23.08.2016 को आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा एवं श्री राजेन्द्र दीवान, विधि सहायक उपस्थित हुए।

04 बहस के दौरान आवेदक के अधिवक्ता के कथन के अनुसार उनका औद्योगिक कनेक्शन ग्राम सोना संवरी में स्थापित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। अतः शासन की अधिसूचना के अनुसार उन्हें विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार फिक्स चार्जेज एवं न्यूनतम खपत में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए जो कि अनावेदक द्वारा नहीं दी जा रही है।

05 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में बताया गया कि आवेदक के औद्योगिक कनेकशन को 24 घंटे एस.पी.एस औद्योगिक फीडर द्वारा विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अतः उन्हें टैरिफ के प्रावधान के अनुसार छूट नहीं दी जा सकती तथा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि उनका विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे अगली सुनवाई की तिथि में यह दस्तावेज प्रस्तुत करें कि आवेदक का औद्योगिक कनेकशन शहरी क्षेत्र की सीमा में स्थापित है।

06 प्रकरण में कोई निर्णय लेने के पूर्व विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ वर्ष 2016–17 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया। टैरिफ के प्रावधान अनुसार आवेदक के कनेक्शन के लिए लागू टैरिफ एच.व्ही–3 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कनेक्शन को फिक्स चार्जेज में 5 प्रतिशत एवं न्यूनतम खपत पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान है। टैरिफ में दी गई सामान्य निबंधन एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक 1 में ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया है जिसमें कि वो क्षेत्र हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.3.2006 के अनुसार शहरी क्षेत्र घोषित किये गये है, के अलावा अन्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलायेंगे। (ओई–1)

07 उपरोक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन न तो शहरी क्षेत्र, स्पेशल डवलपमेंट अथार्टी क्षेत्र और ना ही शासन द्वारा घोषित इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर में स्थापित है। अतः स्पष्ट है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

08 वर्ष 2016–17 के टैरिफ निर्धारण के समय माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई जनसुनवाई के दौरान भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपत्ति ली गई थी कि चूंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है अतः ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए। परन्तु माननीय विद्युत नियामक आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी की अपत्ति खारिज कर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना को यथावत रखा। (ओई–2)

09 दिनांक 14.9.2016 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें कि उपरोक्त शासन की अधिसूचना (ओई–1) के पश्चात शासन द्वारा विषयांतर्गत अधिसूचना में परिवर्तन करते हुए आवदक के स्थापित विद्युत कनेक्शन के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया हो। अतः शासन द्वारा जारी अधिसूचना (ओई–1) के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक आवेदक को विद्युत कनेक्शन देने की तिथि से समय–समय पर प्रचलित टैरिफ के प्रावधान के अनुसार फिक्स चार्जेज एवं न्यूनतम खपत में दी गई छूट को देते हुए विद्युत देयकों को संशोधित करे तथा आवेदक द्वारा यदि इस मद में अधिक राशि जमा की गई हो तो आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

(ii) फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

(iii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

10 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल